सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

N-23017/1/2014-NPR/ 119 दिनांक 2-11-2015

जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन
(जिला कलक्टर)

विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन कार्य।

महोदय,

राजस्थान राज–पत्र में जारी अधिसूचना क्रमांक F.5(902)/DoIT/Tech/15/I/38535/2015 दिनांक 16 सितम्बर 2015 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन कार्य आधार नम्बर एवं राशनकार्ड नम्बर सीडिंग कार्य सहित 10 अक्टूबर 2015 से 09 नवम्बर 2015 तक पूरा किया जाना है। यह कार्य निदेशालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार चार्ज अधिकारियों द्वारा पूरा करवाया जाना है। आशा है आपके जिले के सभी चार्जो में यह कार्य समाप्ति की ओर होगा। एनपीआर अद्यतन कार्य का मानदेय प्रगणकों हेतु निदेशालय स्तर से जारी किया जाना है। कृपया आपके जिले में सभी चार्जो के अनुसार ब्लॉकों की संख्या, लगाये गये प्रगणकों की संख्या अनुलग्नक–2 में इस निदेशालय को 09 नवम्बर 2015 तक अवश्य भिजवाये जाने की कृपा करें जिससे एनपीआर अद्यतन कार्य में लगाये गये सभी अधिकारियों एवं प्रगणकों का मानदेय भिजवाया जा सके।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन करने का क्षेत्र कार्य पूर्ण होने पर प्रगणकों द्वारा रिकार्ड चार्ज अधिकारियों के पास जमा किया जाना है। रिकार्ड जमा करने के पश्चात् चार्ज अधिकारियों द्वारा एनपीआर ब्लॉकों के सार पत्रकों से प्रविष्टि एनपीआर के वेबपोर्टल पर तुरन्त करवाई जानी है, वेबपोर्टल पर प्रविष्टि के पश्चात ही ब्लॉक का कार्य पूर्ण माना जायेगा। कृपया चार्ज के सभी ब्लॉकों का क्षेत्र कार्य पूर्ण होने व रिकार्ड प्राप्त होते ही सार पत्रकों की प्रविष्टि एनपीआर के वेबपोर्टल में करवाये जाने के आदेश प्रदान करें जिसके लिए विस्तृत दिशा–निर्देश परिपत्र संख्या 5 में पूर्व में भिजवाये जा चुके है।

कृपया सभी चार्ज अधिकारियों को एनपीआर अद्यतन व आधार सीडिंग कार्य पूर्ण होने पर संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार एक प्रमाण–पत्र जारी कर जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन व इस निदेशालय को भिजवाने हेतु आदेश प्रदान करें। इसी प्रकार जिला स्तर से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन का कार्य पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र इस निदेशालय को भिजवाने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(आर.आर.मीना) 2/11/15
संयुक्त निदेशक एवं
नियंत्रक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1– भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, 2ए, मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110 011

2– डॉ. हंसराज यादव, राज्य समन्वयक (NPR) एवं अतिरिक्त निदेशक (UID), कमरा नम्बर 210, न्यू आईटी बिल्डिंग, योजना भवन, जयपुर

3– श्री एम.एस.भाटी, उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी (एनपीआर) – राजस्थान भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, 2–ए, मानसिंह रोड़, नई दिल्ली–110011

4– संबंधित उप निदेशक / सहायक निदेशक, सांख्यिकी

5– समस्त सम्भाग अधिकारी – अपने स्तर पर जिला प्रभारियों को निर्देशित करें।

6– निजी अनुभाग – संयुक्त निदेशक महोदय

7– श्री लोकेश जैन – विभागीय वैबसाईट पर डालने हेतु।

(पुनीत मेहरोत्रा)
सहायक निदेशक

अनुलग्नक 1

चार्ज अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि —————————————— तहसील/ नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका के ————— गांवों/ वार्डो के ————— ब्लॉकों का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अद्यतन कर सम्पूर्ण कवरेज कर लिया गया है एवं आधार नम्बर सीडिंग का कार्य दिनांक ——————— तक पूर्ण कर लिया गया है एवं किसी भी ब्लॉक का कार्य शेष नहीं है।

चार्ज अधिकारी के हस्ताक्षर
मय मुहर

जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन (जिला कलक्टर) के द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ——————————— जिले के ————————— चार्जो के ————————— ब्लॉकों का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अद्यतन कर सम्पूर्ण कवरेज कर लिया गया है एवं आधार नम्बर सीडिंग का कार्य दिनांक ————— तक पूर्ण कर लिया गया है।

जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन (जिला कलक्टर) के हस्ताक्षर
मय मुहर

अनुलग्नक 2

जिले का नाम	
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रारों की संख्या	
उप जिला रजिस्ट्रारों की संख्या	
जिला व चार्ज स्तर पर लगाये गये कर्मचारियों की संख्या	

क्रमांक	चार्ज का नाम	चार्ज में एनपीआर ब्लॉकों की संख्या	चार्ज में लगाये गये प्रगणकों की संख्या	मानदेय के लिए ब्लॉकों की संख्या
	योग			

जिला रजिस्ट्रार सिविल रजिस्ट्रेशन (जिला कलक्टर) के हस्ताक्षर
मय मुहर